भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) को प्रोत्साहन

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भारत को नवाचार-प्रेरित GCC हब बनाने हेतु एक राष्ट्रीय GCC नीति का प्रस्ताव दिया है।

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (Priority Sectors):** निवेश एवं कौशल के इष्टतम उपयोग हेतु स्वास्थ्य सेवा, जीवन विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन में GCCs को प्राथमिकता देना।
- **कर प्रोत्साहन (Tax Incentives):** उच्च-मूल्य वर्ग वाले कार्यों, जैसे- IP निर्माण, डिजिटल अवसंरचना और नए कर्मचारियों के लिये रोज़गार-आधारित कटौती हेतु सहायक कर नीतियाँ।
- **सेफ हार्बर का पुनर्संरेखण (Recalibrate Safe Harbour):** सेफ हार्बर मार्कअप को घटाना और सॉफ्टवेयर विकास तथा R&D जैसी श्रेणियों के बीच स्पष्ट अंतर करना, ताकि अधिक GCCs को इसका लाभ मिल सके।
- **अवसंरचना एवं नियामकीय सुधार (Infrastructure & Regulatory Reforms):** केंद्रीय प्राधिकारिता वाले डिजिटल आर्थिक क्षेत्रों (DEZs) का विकास; GCC की संवृद्धि को स्मार्ट सिटी और गति शक्ति के साथ जोड़ कर देखा जाए।
- **नवाचार एवं स्थिरता (Innovation & Sustainability):** पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक पारदर्शिता आधारित नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करना।

GCC

- **परिचय:** MNC की ऑफशोर इकाइयाँ, जो IT, वित्त, इंजीनियरिंग, R&D आदि कार्यों को लागत-प्रभावी वैश्विक स्थानों पर केंद्रीकृत करती हैं।
- **भारत में GCC:** भारत विश्व के लगभग आधे GCC को समाहित करता है; इनकी संख्या 1,800 से बढ़कर वर्ष 2030 तक 5,000 होने की संभावना है।
- **आर्थिक योगदान:** भारत की GDP में लगभग 1.8% योगदान; FY2030 तक 470–600 बिलियन USD तक की वृद्धि संभव।
- **रोज़गार सृजन:** FY25 में 10.4 मिलियन रोज़गारों का सृजन; वर्ष 2030 तक 20–25 मिलियन नए रोज़गार सृजन की क्षमता।

GCC के विकास में प्रेरक कारक

- **भारत की प्रतिभा-संपदा:** भारत में 1.9 मिलियन पेशेवर GCCs में कार्यरत; लाखों STEM स्नातक विविध कौशल और दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं।
- **रणनीतिक स्थान:** भारत का भौगोलिक स्थान एशियाई बाज़ारों तक पहुँच, स्थानीय उपभोक्ता अंतर्दृष्टि और बढ़ते घरेलू बाज़ार का लाभ देता है।
- **भौगोलिक विविधता एवं अनुकूलनशीलता:** कोविड-19 के दौरान अनुकूलित पारितंत्र ने भारतीय GCC को विश्वसनीय बनाया।
- **भारत का परिपक्व GCC** पारितंत्र और अवसंरचना संचालन को तीव्र गति से विस्तार देने में सक्षम बनाता है।
- **शासन एवं अनुपालन:** डेटा संरक्षण, गोपनीयता संबंधी विधान एवं शासन ढाँचा नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

चुनौतियाँ	संबंधित उपाय
भारत में **डिजिटल कौशल अंतर वर्ष 2023 में 25% से बढ़कर 2028 तक 29%** अनुमानित। केवल **43% स्नातक औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य हेतु सक्षम।** पुनःकौशल विकास (Reskilling) में अत्यधिक निवेश।	**मानकीकृत पुनःकौशल प्लेटफॉर्म** को **AI, क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स** में प्रमाण-पत्र प्रदान करने चाहियें। कर लाभ या सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन बड़े पैमाने पर स्नातक उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये ज़रूरी।
GCC द्वारा घरेलू IT कंपनियों के साथ ओवरलैप करने, **IT निर्यात को कमज़ोर करने** और भारत में सीमित **उच्च-स्तरीय परियोजनाओं** को उत्पन्न करने की आशंका।	**स्पष्ट विभेदन रणनीति** के माध्यम से वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) को **रणनीतिक नवोन्मेष तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D)** हेतु स्थापित किया जाना चाहिये।
अधिकांश **GCC कार्य नियमित और आउटसोर्स** करने के योग्य। **बौद्धिक संपदा (IP)** के सीमित सृजन के कारण भारत की **वैश्विक मूल्य शृंखला** में वृद्धि सीमित।	GCC को आकर्षित करने के लिये दृढ़ बौद्धिक संपदा (IP) सुरक्षा वाले **विशेष नवाचार क्षेत्र** बनाना और उत्पाद विकास में अधिक स्वामित्व के लिये **IP नेतृत्व** को अनिवार्य करना।
GCC क्षेत्र में उच्च पलायन से विशेषकर **AI, एनालिटिक्स और डिजिटल क्षेत्र** में प्रतिभाओं का अनुरक्षण तथा स्थायी विकास जटिल होता है।	**ग्लोबल असाइनमेंट और उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं** को बढ़ावा देना एक **प्रतिस्पर्द्धी कार्य संस्कृति** प्रदान करता है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO)

- **परिचय:** BIS प्रमाणन सामान्य रूप से स्वैच्छिक होता है, लेकिन कुछ उत्पादों के लिये यह सार्वजनिक हित में अनिवार्य हो जाता है, जैसे- स्वास्थ्य, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा या अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिये।
- **उद्देश्य: WTO के तकनीकी व्यापार अवरोध (TBT) समझौते** के अनुरूप; उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित करना, घटिया उत्पादों को रोकना, निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और गुणवत्ता में सुधार करना।
- **विधिक प्रावधान:** BIS से परामर्श के बाद जारी, BIS अधिनियम, 2016 के आधार पर; QCO के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स **BIS, 2018 के अधीन** होते हैं; QCO का उल्लंघन करने पर जेल, जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है।
- **प्रतिबंध आदेश:** QCO के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का निर्माण, आयात, बिक्री या हैंडलिंग बिना BIS स्टैंडर्ड मार्क के नहीं किया जा सकता।

> - BIS ने प्रमाणन प्रक्रिया को डिजिटाइज किया है, जो घरेलू उद्योगों, जिनमें MSMEs भी शामिल हैं, के लिये 30 दिनों के अंदर समयबद्ध प्रमाणन प्रदान करता है और 750+ उत्पादों को कवर करता है।
> - **जन सुनवाई:** एक पोर्टल, जहाँ कोई भी प्रश्न दर्ज कर सकता है।
> - **मानक मंथन:** MSMEs को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर सहभागिता।

- **आयात पर लागू होना:** घरेलू नियम आयात पर भी समान रूप से लागू होते हैं; विदेशी निर्माता को फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स सर्टिफिकेशन स्कीम (FMCS) के तहत **लाइसेंस/कनफॉर्मिटी सर्टिफिकेट (CoC)** प्राप्त करना अनिवार्य है।

QCO से संबंधित चुनौतियाँ	सुझाव
उच्च अनुपालन लागत: QCO, BIS प्रमाणन अनिवार्य बनाते हैं, जिससे लागत बढ़ती है और छोटे उद्यमों पर इसका प्रभाव बड़े उद्यमों की तुलना में अधिक होता है।	लागत कम करने के लिये **क्लस्टर-आधारित परीक्षण सुविधाओं** को बढ़ावा देना। सुगम अनुपालन के लिये तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना।
गैर-शुल्कीय अवरोध प्रभाव: QCOs आयात को सीमित कर सकते हैं, सस्ते कच्चे माल तक पहुँच को बाधित कर सकते हैं और व्यापार वार्ता को जटिल बना सकते हैं।	निर्यात के लिये अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और बाज़ार तक पहुँच सुधारने हेतु **पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRAs)** का पालन।
सीमित कवरेज और उद्योगों द्वारा प्रतिरोध: 23,000 से अधिक BIS मानकों में केवल 187 पर QCO लागू हैं, मुख्यतः स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिससे प्रवर्तन में चुनौतियाँ आती हैं।	स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अन्य उद्योगों तक **QCOs का कवरेज बढ़ाना।**
कार्यान्वयन चुनौतियाँ: BIS प्रमाणन प्राप्त करने में विलंब उत्पादन और बिक्री को प्रभावित कर सकता है।	बाज़ार संबंध और निर्यात समर्थन स्थापित करना। BIS के कार्यभार को कम करने के लिये मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकायों का उपयोग करना। MSMEs के लिये एक फीडबैक तंत्र तैयार करना, ताकि वे **समस्याओं को सूचित** कर सकें।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने **वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025** की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह कदम **अनुच्छेद 26 के उल्लंघन, वक्फ बोर्डों को दिये गए अत्यधिक प्रशासनिक अधिकारों, गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व** तथा वक्फ संपत्तियों और परोपकारी गतिविधियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उठाया है।

प्रावधान, जिनका सर्वोच्च न्यायालय ने किया अनुमोदन

- **परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता:** 1995 के वक्फ अधिनियम में परिसीमा अधिनियम को लागू नहीं किया गया था, जिससे वक्फ बिना समय-सीमा के अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते थे।
  - ❖ **2025 संशोधन ने इस अपवाद को हटा दिया।** सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा, यह कहते हुए कि इससे पूर्व की असमानता दूर होती है।
- **'वक्फ बाय यूज़र' की समाप्ति:** 2025 संशोधन ने इस प्रावधान को हटा दिया, जिसके अंतर्गत किसी भूमि का धार्मिक/परोपकारी उपयोग मात्र से, बिना पंजीकरण के, उसे वक्फ माना जाता था।
  - ❖ SC ने इस संशोधन को भी बरकरार रखा, यह कहते हुए कि इस प्रावधान का दुरुपयोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिये किया जा रहा था।

प्रावधान, जिनपर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक

- **पाँच साल का नियम मुस्लिमों के लिये:** सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है, क्योंकि धार्मिक अभ्यास की जाँच का कोई तंत्र नहीं है।
- **ज़िला कलेक्टरों के अधिकार (धारा 3C):** सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्थगित कर दिया, इसे **मनमाना और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन** बताया। न्यायालय के अनुसार, जाँच के दौरान वक्फ संपत्तियों को खाली नहीं कराया जा सकता।

⌘ **वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व:** न्यायालय ने गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व को सीमित किया; केंद्रीय वक्फ परिषद **(अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम) एवं राज्य वक्फ बोर्ड (अधिकतम 3 गैर-मुस्लिम)।**

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय:

- **बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य, 1987:** विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि यह उनके धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करता हो, बशर्ते कि इससे लोक व्यवस्था बाधित न हो।
- **शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017:** तत्काल त्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया, यह अनुच्छेद 14 और लैंगिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह धार्मिक अभ्यास अनुच्छेद 25 के तहत अनिवार्य नहीं है।
- **डॉ. महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र, 2016:** लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नहीं माना गया और इसे अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम

सरकार ने **केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2025 तक UPS में स्थानांतरित** होने का विकल्प दिया है, हालाँकि अब तक 23.94 लाख पात्र कर्मचारियों में से केवल 40,000 ने ही इसको अपनाया है।

⌘ **परिचय:** UPS, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये NPS के अंतर्गत एक वैकल्पिक पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है। यह सुनिश्चित तथा मुद्रास्फीति-सहलग्न (Inflation-Indexed) सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है।

⌘ **सिफारिश:** टी. वी. सोमनाथन समिति (2023) द्वारा एवं वर्ष 2024 में घोषित।

⌘ **नियामक संस्था:** PFRDA

⌘ **अंशदान:**

- ❖ **कर्मचारी:** मूल वेतन का 10% + DA
- ❖ **सरकार:** मूल वेतन का 10% + DA + अतिरिक्त 8.5%, ताकि भुगतान सुनिश्चित हो।
- ❖ **PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या):** सभी अंशदान, कर्मचारी के PRAN खाते में दर्ज किये जाते हैं।

पैरामीटर	NPS	UPS
प्रकृति	नवीन कर्मचारियों के लिये अनिवार्य (2004 के बाद)	पात्र कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक
अंशदान	10% (कर्मचारी) + 14% (सरकार)	10% (कर्मचारी) + 10% (सरकार) + 8.5% (पूल कॉर्पस)
सुनिश्चित भुगतान	नहीं	हाँ (शर्तों के अधीन)
न्यूनतम पेंशन	नहीं	₹10,000/माह
महँगाई राहत	नहीं	हाँ
अंतिम निकासी	60% तक	60% तक
पारिवारिक लाभ	वार्षिकी पर निर्भर करता है	ग्राहक के भुगतान का 60%
आंशिक निकासी	हाँ	हाँ

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान (SNSPA)

प्रधानमंत्री द्वारा **SNSPA** और **8वें राष्ट्रीय पोषण माह** का शुभारंभ किया गया।

SNSPA

⌘ यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक **स्वास्थ्य पहल** है।

⌘ विशेषताएँ:

⌘ एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग के क्रम में **आयुष्मान आरोग्य मंदिरों** तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर **1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन** किया जाना।

⌘ पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के क्रम में **SASHAKT पोर्टल** द्वारा रियल टाइम प्रगति की ट्रैकिंग।

⌘ **निक्षय मित्रों और स्वयंसेवकों** की सहायता से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा तथा आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता एवं पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को प्रोत्साहन देना।

एल्युमिनियम-आयन बैटरी

सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज़, बंगलूरू ने लिथियम-आयन बैटरियों के स्थायी विकल्प के रूप में जल-आधारित लोचशील एल्युमिनियम-आयन बैटरी विकसित की है।

- **प्रयुक्त सामग्री:** एल्युमिनियम एवं जल-आधारित इलेक्ट्रोलाइट –जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है साथ ही पर्यावरण-अनुकूल, वहनीय, विस्फोट-रोधी और सुरक्षित है।
- **घटक:** कॉपर हेक्सासायनोफेरेट (CuHCFe) कैथोड एवं मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड (MoO_3) एनोड।
- **कार्य-कुशलता:** चार्ज-डिस्चार्ज के 150 चक्रों के बाद भी कार्यशील, लोचशील – मुड़ने/मोड़ने पर भी प्रदर्शन स्थिर।
- **अनुप्रयोज्यता:** फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन, वियरेबल्स एवं सुरक्षित EV (इलेक्ट्रिक वाहन)।
- **चुनौतियाँ:** Al^{3+} आयन का धीमा प्रसार। ग्रेफाइट जैसे पदार्थों की संभावित संरचनात्मक अस्थिरता, जिससे चक्र स्थिरता प्रभावित होती है एवं एल्युमिनियम एनोड का क्षरण, जो दीर्घकालिक क्षमता घटाता है।

लिथियम-आयन बैटरी

- यह एक **रिचार्जेबल बैटरी** है, जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान लिथियम आयन, **ऋणात्मक इलेक्ट्रोड (ग्रेफाइट)** और **धनात्मक इलेक्ट्रोड (Li ट्रांज़िशनल मेटल ऑक्साइड्स)** के बीच एक गैर-जलीय इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से प्रवाहित होते हैं।
- यह **ऊर्जा को अधिक सघन रूप में संग्रहीत** करती है और **लंबे समय तक चार्ज रहती है।**
- पुरानी लेड-एसिड बैटरियों के विपरीत यह **हल्की** होती है और कम विषाक्त लिथियम तथा कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है।

मोरान समुदाय

असम के **तिनसुकिया ज़िले** (तेल, कोयला और चाय से समृद्ध क्षेत्र) में **मोरान समुदाय** ने अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा पाने की मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी शुरू की है।

- **मोरान समुदाय** असम का एक **जनजाति** समुदाय है, जिसका **अहोम शासन** से पहले अपना स्वतंत्र राज्य हुआ करता था।
- 17वीं शताब्दी में अनिरुद्धदेव ने इन्हें **वैष्णव धर्म** में परिवर्तित किया था, ये वैष्णव धर्म के **मोआमोरिया संप्रदाय** से संबंधित हैं। अरुणाचल प्रदेश के **नामसाई ज़िले में इनकी एक छोटी आबादी निवास** करती है।

सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' 2025 का 21वाँ संस्करण

इसका आयोजन **फोर्ट वेनराइट, अलास्का** में किया गया, जिसका उद्देश्य **भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के मध्य सहयोग** को बढ़ाना है।

- इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी; यह **अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी** का हिस्सा है।
- **भारत और अमेरिका के बीच अन्य अभ्यास:** अभ्यास **वज्र प्रहार** (विशेष बलों का अभ्यास), **सेलवेक्स** (नौसेना), कॉप इंडिया (वायुसेना) और **मालाबार अभ्यास** (चतुष्कोणीय नौसैनिक अभ्यास)।